

APPLICATION FORM

मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना हेतु ऋण/स्वलागत आवेदन प्रपत्र

राज्य सरकार द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या-173 दिनांक 20.01.2014 द्वारा 820.08 (आठ करोड़ बीस लाख आठ हजार) रुपये की लागत पर पूरे राज्य में मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के निम्न घटकों पर मत्स्य कृषक अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं

- i) नये तालाब का निर्माण
- ii) फिश फिड मिल का निर्माण
- iii) मत्स्य हैचरी का निर्माण
- iv) आर्द्र जलक्षेत्र में तालाब का निर्माण
- v) निजी सहभागिता से फ्लोटिंग फिश फिड मिल की स्थापना
- vi) परिपूर आहार की योजना

पासपोर्ट
साईज
का
फोटो

मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन जिला मत्स्य कार्यालय में जमा किया जाना है। समग्र मत्स्य विकास परियोजना हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप निम्नरूपेण है :-

1. आवेदक का नाम :
 2. पिता का नाम :
 3. स्थायी पता ग्राम :
 - पिन :, जिला :
 4. दूरभाष संख्या :
 5. तालाब का खाता, खेसरा तथा रकबा (एकड़ में)
(भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/समिति का पट्टा/निबंधित एकरारनामा की छायाप्रति संलग्न करें)
 6. तालाब का जलक्षेत्र (एकड़ में) :
 7. तालाब के लोकेशन का पूर्ण विवरण :
 8. मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना के किस घटक अन्तर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं:
.....
 9. संलग्न कागजात का विवरण
 10. आवेदक का फोटो, स्वअभिप्रमाणित फोटो पहचान पत्र तथा तालाब का अद्यतन रंगीन फोटो
 11. प्रस्तावित राशि
 12. अनुदान की राशि
 13. वर्तमान बैंकर्स
 14. ली गई ऋण की वर्तमान स्थिति
- प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त योजना के लिए निर्धारित शर्तों का मेरे द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

तिथि :

आवेदक का हस्ताक्षर

- अनु0- 1. भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/निबंधित पट्टा 2. KYC Document 3. प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र
4. बैंक का बकाया रहित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया विवरण सही है तथा समग्र मत्स्य विकास परियोजना के अंतर्गत किया जा सकता है अथवा आवेदक चयन योग्य नहीं है।

मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक
जिला मत्स्य पदाधिकारी का भौतिक सत्यापन एवं प्रतिहस्ताक्षर